

राशमी
(अपराध अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्थान कलक्ट्रेट राशमी

2. प्रार्थी श्री को सूचनाएं।

1. तहसीलदार, राशमी को भुजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद वीथ किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

प्रतिनिधि :-

क्रमांक: स्टि/रा/5-11(928)/2023

दिनांक :- 06/6/23

राशमी
(अपराध अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्थान कलक्ट्रेट राशमी



क.सं.	सौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रतिष्ठि (अशुद्ध प्रतिष्ठि)	आदेश
1.	आरणी	701	प्रमबाई पुत्री रतनलाल जाट सुन्दरबाई पुत्री रतनलाल जाट	प्रमबाई पुत्री देवीलाल जाट सुन्दरबाई पुत्री देवीलाल जाट

जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

द्वारा प्रतिष्ठि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जायें।
राशमी व जिला विवाहान्त की जमाबन्दी समस्त 2076-77 में खाला संख्या 701 में वर्तमान में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में सौजा आरणी तहसील निरीक्षक वृत्त राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशेषा के आधार पर प्रार्थी के "खाला पुस्तिका" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का आरणी ए. में अभिलेख

प्रसंग :- 208 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन जालों के संग
आभियान-2023

(पीठाधीन अधिकारी कैम्प कार्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

ज्यापालत उपखण्ड अधिकारी एवं पटन सहायक कलक्ट्रेट राशमी

राजस्थान सरकार

